

FORM NO -III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत जिला मजिस्ट्रेट  
अपीलांट

मुकाम  
बनाम

नागौर  
रेस्पोंडेन्ट्स

किशनलाल पुत्र मोहनलाल जाति  
दायमा ब्राहमण निवासी धोलिया  
तहसील लाडनूँ, जिला नागौर राज0

1. श्रीमती नाराणीदेवी पत्नी स्व मोहनलाल
2. बाबुलाल पुत्र मोहनलाल  
जातियान दायमा ब्राहमण निवासी धोलिया  
तहसील लाडनूँ जिला नागौर, राज0

किस्म मुकदमा भरण पोषण अपील संख्या ...70. सन् 2022

G. C. M. S. Portal No-2022/89

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
11.03.2022	अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनूँ द्वारा वाद संख्या 01/2021 बअनवान नाराणी देवी बनाम किशनलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2022 के विरुद्ध, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण व कल्याण अधीनियम 2007 की धारा 16 के तहत यह अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट्स जरिये सम्मन तलब हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.04.2022 को पेश हो।  जिला कलक्टर, नागौर	सम्मन भेजे वे 11/5/22
6/5/22	अपीलांट उपरो। अपीलांट ने कथन किया कि वह इस केस को चलाए नहीं चाहता है। (वे Not press किया है) अतः अपीलांट द्वारा इस अपील को आगे नहीं चलाने का कथन करने एवं Not press करने के आधार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तगत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को तथा पेशाशन को इस आदेशों की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक सचिवाही जैसल शुभार होकर नम्बर से कम हो।	में इस केस को चलाना नहीं चाहता है। - नोट प्रेस - कुशुभा



(पीयूष संगारिया)  
जिला मजिस्ट्रेट नागौर  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

